तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 99/2024 जीसीएमएस : 2024/209 लिछमा रानी बनाम सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधि.	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
10.03.2025	आज यह पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में शीघ्र सुनवाई बाबत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) श्रीविजयनगर के पत्रांक/भू.अ./2025/629 दिनांक 17.02.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लिछमा रानी की जगह लक्ष्मी रानी सहवन से अंकित हो गया है जबकि प्रार्थी की समस्त दस्तावेजों में लक्ष्मी रानी है। जिसकी दुरूस्ती की जानी अति आवश्यक है। प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर अमल दरामद के आदेश तहसीलदार श्रीविजयनगर के प्रदान करने हेतु निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत छायाप्रति जमाबंदी अनुसार चक 1 केएसडी बी खाता सं. 57 एवं खाता सं. 56 में नाम लक्ष्मीरानी पत्नी जयपाल संयुक्त खाता में खातेदार दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार उक्त भूमि लक्ष्मीरानी के नाम से नामान्तरण सं. 155 दिनांक 23.12.2015 विरास्तन आधार पर दर्ज हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत 3 केएसडी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2015 में नाम लक्ष्मीरानी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में नाम लिछमा रानी अंकित है। तहसीलदार रिपोर्ट बिन्दू सं. 2 के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश ग्राम पंचायत 3 केएसडी सुखचैनपुरा द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 155 निर्णय दिनांक 23.12.2015 से विरास्तन इन्तकाल लक्ष्मीरानी पत्नी जयपाल के नाम से दर्ज रिकार्ड हुआ, जो आदिनांक तक राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अथवा जमाबंदी तैयार करते समय हुई लिपिकीय भूल की दुरूस्ती की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में राजस्व रिकार्ड में भूमि का अंकन लक्ष्मीरानी करते समय किसी प्रकार की त्रुटि होना नहीं पाया गया है बल्कि प्रस्तुत दस्तावेज वारिसनामा के आधार पर ही नाम दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। शकुन्तला R.A.S. उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:22:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner